मण्डल:- बस्ती,जनपद:- सन्तकबीर नगर,तहसील:- धनघटा

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 00511/2020

आर0पी0महाविद्यालय कालीजगदीशपुर द्वारा प्रबन्धक अवधेश प्रसाद बनाम

उ0प्र0सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202017650100511

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 07/02/2020

अंतिम आदेश

प्रश्नगत वाद आर0पी0 महाविद्यालय कालीजगदीशपुर द्वारा प्रबन्धक अवधेश पसाद पुत्र राममूरत साकिन कालीजगदीशपुर तप्पा महोबरा परगना महुली पूरब द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। दावा प्रार्थनापत्र आर0सी0 प्रपत्र-25 मे उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रस्तुत है। वादी ने अपने दावा प्रपत्र के साथ ग्राम कालीजगदीशपुर तप्पा महोबरा की नकल खतौनी संलग्न कर गाटा 461/0.105, 462/1687/0.141, 453ख/0.092, 454/0.025, 460/0.013, 490अ/0.006, 490घ/0.005, 490ग/0.005, 455/0.041, 487/0.081,462ख/0.026 व 452क/0.025 हे0 कुल रकबा 0.518 हे0 अकृषिक भूमि घोषित करने के अनुरोध के साथ उल्लेख किया है कि उक्त भूमि पर आर0पी0 महाविद्यालय का भवन हुआ है। उक्त भूमि व्यवसायिक प्रयोग में लाई जा रही है। भूमि जोती बोई नही जाती है जिससे पूर्णतया अकृषिक हो चुकी है। उक्त के आधार पर आवेदक द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 धारा 80 के अन्तर्गत उक्त आराजी को कृषियेत्तर घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रकरण की जाॅच नायब तहसीलदार से करायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने रिपोर्ट दिनांक 28.01.2020 में उल्लेख किया है कि ग्राम कालीजगदीशपुर तप्पा महोबरा की नकल खतौनी संलग्न कर गाटा 461/0.105, 462/1687/0.141, 453ख/0.092, 454/0.025, 460/0.013, 490अ/0.006, 490घ/0.005, 490ग/0.005, 455/0.041, 487/0.081,462ख/0.026 व 452क/0.025 हे0 कुल रकबा 0.518 हे0 अकृषिक भूमि पर आर0पी0 महाविद्यालय का भवन हुआ है। उक्त भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।

मेरे द्वारा वाद पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार धनघटा की आख्या दिनांक 28.01.2020 का परिशीलन किया। ग्राम कालीजगदीशपुर तप्पा महोबरा स्थित गाटा 461/0.105, 462/1687/0.141, 453ख/0.092, 454/0.025, 460/0.013, 490अ/0.006, 490घ/0.005, 490ग/0.005, 455/0.041, 487/0.081,462ख/0.026 व 452क/0.025 हे0 कुल रकबा 0.518 हे0 अकृषिक भूमि पर आर0पी0 महाविद्यालय का भवन हुआ है। उक्त भूमि व्यवसायिक उपयोग में प्रयोग हो रही है। भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आवेदक द्वारा ग्राम कालीजगदीशपुर तप्पा महोबरा के सामान्य कृषि दर रूपया 54,00,000.00 प्रति हेक्टेयर के अनुसार क्षेत्रफल 0.518 हे0 हेतु निर्धारित शुल्क एक प्रतिशत रूपया 27972.00 के बावत चालान सं0 बी 3004/03.02.2020 से रू0 1000.00 (एक हजार रू0 मात्र) उद्घोषणा शुल्क तथा चालान सं0 बी0 30041/03.02.2020 से रू0 28000.00 (अट्ठाइस हजार रू0 मात्र) न्याय शुल्क जमा किया गया है। जमा किया गया है। प्रश्नगत भूमि का भू0रा0 15.11 रू0 निरस्त कर उ0प्र0 राजस्व संहित 2006 धारा 80 के अन्तर्गत भूमि प्रविष्टि कृषियेत्तर किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम कालीजगदीशपुर तप्पा महोबरा स्थित गाटा 461/0.105, 462/1687/0.141, 453ख/0.092, 454/0.025, 460/0.013, 490अ/0.006, 490घ/0.005, 490ग/0.005, 455/0.041, 487/0.081,462ख/0.026 व 452क/0.025 हे0 कुल रकबा 0.518 हे0 भूमि व्यवसायिक प्रयोग में होने के कारण आर0पी0 महाविद्यालय कालीजगदीशपुर द्वारा प्रबन्धक अवधेश प्रसाद पुत्र राममूरत के नाम

Scanned with CamScanner

आदेश

अंकित भू0रा0 15.11 रू0 निरस्त करते हुए अकृषिक (कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है से असम्ब्द प्रयोजन हेतु) घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति निःशुल्क निबन्धन हेतु उप निबन्धक धनघटा को भेजी जाय। आदेश अनुपालन जब भी नयी खतौनी निर्मित हो विवरण के कालम में अंकित होता रहेगा। परवाना अमलदरामद जारी हो। वाद अनुपालन पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

07.02.2020

(प्रमोद कुमार)
उप जिलाधिकारी
धनघटा,संत कबीर नगर।

Scanned with CamScanner